

# कार्यालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, किशनगंज

(जिला विधि प्रशाखा)

पत्रांक...../जि.विधि,  
[II-55/2013]  
दिनांक .....11.2013.



फोन नं. :- 06456-222530, 222535  
फैक्स नं. :- 06456-222626, 225480  
ई-मेल :- dm-kishanganj.bih@nic.in

प्रेषक :- आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.,  
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता,  
किशनगंज।  
सेवा में,  
अंचल अधिकारी,  
पोठिया।  
विषय :- अपील वाद संख्या 384/2013 - अंचल अधिकारी, पोठिया बनाम रहमानी फाउण्डेशन के  
संबंध में।

महाशय,

विषयान्तर्गत विज्ञ सरकारी वकील, किशनगंज से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त वाद में संबंधित न्यायालय में निर्धारित तिथि दिनांक 04.12.2013 को उचित पैरवी करना सुनिश्चित किया जाय तथा सभी निर्धारित तिथि/तिथियों में ससमय उचित पैरवी करते हुए स्थिति से अवगत कराया जाय।

साथ ही, उक्त वाद में सरकार की ओर से दायर टी.एस.नं. 62/2013 में भी विज्ञ सरकारी वकील, किशनगंज से सम्पर्क कर सरकार की ओर से ससमय उचित पैरवी करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह./-

(आदित्य कुमार दास)

जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता,  
किशनगंज।

ज्ञापांक 646/जि.विधि, किशनगंज, दिनांक 03.12.2013

प्रतिलिपि :- विज्ञ सरकारी वकील, किशनगंज को उनके पत्र दिनांक 07.11.2013 के क्रम में सूचनार्थ एवं तदनुसार आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता/वरीय उप समाहर्ता, जिला राजस्व प्रशाखा/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला प्रबन्धक, आई.टी., किशनगंज को सूचनार्थ एवं सम्बन्धित को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

(आदित्य कुमार दास)

जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता,  
किशनगंज।